



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262717
CG-DL-E-28042025-262717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1865]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 1865]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1907(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में रा.रा.-344जी के कि.मी. 89.6 से कि.मी. 119.79 (दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून छः लेन एक्सेस कन्ट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनोमिक कारीडोर का निर्माण) तक के भू-खण्ड के निर्माण (6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), सहारनपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में में रा.रा.-344जी के कि.मी. 89.6 से कि.मी. 119.79 (दिल्ली- सहारनपुर - देहरादून छः लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनोमिक कारीडोर का निर्माण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: सहारनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रामपुर मनिहारान					
गांव का नाम: बहादुरपुर अह0					
1	35	निजी	कृषि	250 (वर्ग मीटर)	0.025
2	36	निजी	कृषि	200 (वर्ग मीटर)	0.02
गांव का नाम: सकतपुर अह0					
3	1	निजी	कृषि	144 (वर्ग मीटर)	0.0144
4	10	निजी	कृषि	271 (वर्ग मीटर)	0.0271
5	24	निजी	कृषि	14 (वर्ग मीटर)	0.0014
6	25	निजी	कृषि	790 (वर्ग मीटर)	0.079
7	28	निजी	कृषि	747 (वर्ग मीटर)	0.0747
8	29	निजी	कृषि	342 (वर्ग मीटर)	0.0342
9	30	निजी	कृषि	60 (वर्ग मीटर)	0.006
10	31	निजी	कृषि	260 (वर्ग मीटर)	0.026
11	32	निजी	कृषि	73 (वर्ग मीटर)	0.0073
12	33	निजी	कृषि	12 (वर्ग मीटर)	0.0012
13	35	निजी	कृषि	518 (वर्ग मीटर)	0.0518
14	36	निजी	कृषि	417 (वर्ग मीटर)	0.0417
15	37	निजी	कृषि	210 (वर्ग मीटर)	0.021
16	38	निजी	कृषि	35 (वर्ग मीटर)	0.0035
17	39	निजी	कृषि	12 (वर्ग मीटर)	0.0012
18	4	निजी	कृषि	131 (वर्ग मीटर)	0.0131

19	50	सरकारी	नदी	321 (वर्ग मीटर)	0.0321
20	51	निजी	कृषि	61 (वर्ग मीटर)	0.0061
21	52	निजी	कृषि	1051 (वर्ग मीटर)	0.1051
22	53	निजी	कृषि	934 (वर्ग मीटर)	0.0934
23	54	निजी	कृषि	135 (वर्ग मीटर)	0.0135
24	7	निजी	कृषि	208 (वर्ग मीटर)	0.0208
गांव का नाम: सकतपुर मु0					
25	154	निजी	कृषि	450 (वर्ग मीटर)	0.045
गांव का नाम: खुदाबख्सपुर					
26	76	निजी	कृषि	429 (वर्ग मीटर)	0.0429
27	85	निजी	कृषि	500 (वर्ग मीटर)	0.05
गांव का नाम: हसनपुर लोटनी					
28	221	निजी	कृषि	800 (वर्ग मीटर)	0.08
गांव का नाम: अम्बेहटाचौद भगवानपुर मु0					
29	946	निजी	कृषि	150 (वर्ग मीटर)	0.015
Total					0.9525

[फा. सं. NHA/PIU-BPT/2020/1011(3a-GF)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1907(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Six laning etc.), maintenance, management and operation of NH-344G in the stretch of land from Km. 89.6 to Km. 119.79 (Development of six lane access control greenfield highway of Delhi Saharanpur Dehradun economic corridor) in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority / Special Land Acquisition Officer (J.O.), Saharanpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling of NH-344G in the stretch of land from Km. 89.6 to Km. 119.79 (Development of six lane access control greenfield highway of Delhi Saharanpur Dehradun economic corridor) in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SAHARANPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rampur Maniharan					
Village: Bahadarpur Aht.					
1	35	Private	Agriculture	250 (Square Meter)	0.025
2	36	Private	Agriculture	200 (Square Meter)	0.02
Village: Sakatpur Aht.					
3	1	Private	Agriculture	144 (Square Meter)	0.0144
4	10	Private	Agriculture	271 (Square Meter)	0.0271
5	24	Private	Agriculture	14 (Square Meter)	0.0014
6	25	Private	Agriculture	790 (Square Meter)	0.079
7	28	Private	Agriculture	747 (Square Meter)	0.0747
8	29	Private	Agriculture	342 (Square Meter)	0.0342
9	30	Private	Agriculture	60 (Square Meter)	0.006
10	31	Private	Agriculture	260 (Square Meter)	0.026
11	32	Private	Agriculture	73 (Square Meter)	0.0073
12	33	Private	Agriculture	12 (Square Meter)	0.0012
13	35	Private	Agriculture	518 (Square Meter)	0.0518
14	36	Private	Agriculture	417 (Square Meter)	0.0417
15	37	Private	Agriculture	210 (Square Meter)	0.021
16	38	Private	Agriculture	35 (Square Meter)	0.0035
17	39	Private	Agriculture	12 (Square Meter)	0.0012
18	4	Private	Agriculture	131 (Square Meter)	0.0131
19	50	Government	River	321 (Square Meter)	0.0321
20	51	Private	Agriculture	61 (Square Meter)	0.0061
21	52	Private	Agriculture	1051 (Square Meter)	0.1051
22	53	Private	Agriculture	934 (Square Meter)	0.0934
23	54	Private	Agriculture	135 (Square Meter)	0.0135
24	7	Private	Agriculture	208 (Square Meter)	0.0208
Village: Sakatpur Must.					
25	154	Private	Agriculture	450 (Square Meter)	0.045

Village: Khudabakhspur					
26	76	Private	Agriculture	429 (Square Meter)	0.0429
27	85	Private	Agriculture	500 (Square Meter)	0.05
Village: Hasanpur Lautani					
28	221	Private	Agriculture	800 (Square Meter)	0.08
Village: Ambehta Chand Bhagwanpur Mu.					
29	946	Private	Agriculture	150 (Square Meter)	0.015
Total					0.9525

[F. No. NHAI/PIU-BPT/2020/1011(3a-GF)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director